सं.4-9/2014-यू.1ए

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली

दिनांक : 30 जुलाई, 2014

आदेश

विषय: उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्यताओं एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु इसकी समीक्षा।

भारतीय उच्चतर शिक्षा क्षेत्र संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तथा विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है; यह क्षेत्रपहले से ही 726 विश्वविद्यालयों एवं 38000 कॉलेजों में लगभग 28 मिलियन विद्यार्थियों को शिक्षित एवं समर्थ बना रहा है। वर्ष 2011-12 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 20.4% है। उच्चतर शिक्षा के असंख्य विषयों एवं विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक विस्तार में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को आम लोगों तक पहुंचाने में विविध प्रकार की चुनौतियां है तथा देश के मानव विकास सूचकांक में सुधार करने तथा देश को सही अर्थो मे 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' में परिवर्तित करना, सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना अत्यधिक आवश्यक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। उस समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय एवं 500 कॉलेज थे तथा कुल नामांकन 0.21 मिलियन विद्यार्थी था। विश्वविद्यालय अधिनियम को तीन बार संशोधित किया गया; अंतिम संशोधन वर्ष 1985 में किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन संविधान की अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्ट 66 के अंतर्गत किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का शीर्ष निकाय है। इसके पास न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा के मानको का निर्धारण करने का अधिकार है अपितु देश के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने का भी अधिकार है।

नामांकन में वृद्धि के साथ ही देश में प्राइवेट विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रकार की संस्थाओं में मानकों के अनुरक्षण हेतु विनियम निर्धारित किए है परंतु विनियमों का कार्यान्वयन संपूर्ण रूप से न करके इनका उल्लंघन करते हुए किया गया है। अभी हाल ही में ऐसी घटना सामने आई है कि एक प्राइवेट विश्वविद्यालय अनुसंधान/पीएच.डी. डिग्रियाँ स्वतः तैयार करते हुए इनकी बिक्री कर रहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके माध्यम से विनियामक निर्देशों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई तथा इनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। ऐसी कमी इसकी संरचना तथा प्रक्रियाओं में सीमाओं की वजह से है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली को विनियमित करने तथा गुणवत्ता एवं सुलभता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है परंतु यह महसूस किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन किया गया होता तो यह बेहतर कार्य कर सकता है। इन सीमाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की संपूर्ण समीक्षा एवं संशोधन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने देश में जाली विश्वविद्यालयों के विकास पर रोक लगाने हेतु सुझाव देने के लिए दिनांक 7 जुलाई, 1998 को एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल को यूजीसी अधिनियम के संगत प्रावधानों की जांच करने का अधिदेश था जिन्हें नकली विश्वविद्यालय की घटना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करने के लिए संशोधित किया जाना था। 11 मार्च, 1999 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा पर विभिन्न नई पहलों पर रिपोर्ट देने के लिए छः व्यक्तियों के एक समूह को भी गठित किया जिनमें कई घटक जैसे स्वायत्त संस्थाएं, विदेशी विश्वविद्यालय और भारतीय विदेशी शिक्षा शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रिपोर्ट की जांच हुई और एक मसौदा मंत्रिमंडल नोट यूजीसी अधिनियम, 1956 में संशोधनों के लिए तैयार किया गया। उच्चतर शिक्षा के नवीकरण और कायाकल्पन हेतु यशपाल समिति की नियुक्ति के परिणामस्वरूप मामले को आगे बढ़ाया नहीं जा सका।

तथापि, इस बात का अहसास है कि यूजीसी उच्चतर शिक्षा के संदेश के अपने अधिदेश के साथ न्याय करने के लिए समर्थ नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए अधिकांश निजी संस्थाएं, उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण के वृद्धि स्तर और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में उभर आई हैं, कई राज्यों ने निजी विश्वविद्यालयों का सृजन किया है जो उच्चतर शिक्षा के निर्धारित स्तरों को कई बार बनाए नहीं रख रहे हैं, यूजीसी की समस्त कार्यप्रणाली, न्यूनतम स्तरों को लागू करने और विनियमन बनाने की बजाय अनुदान दिए जाने की ओर अभिमुख है। यह अत्यावश्यक है कि यूजीसी की इसकी संपूर्णता में तुरंत एक समीक्षा संचालित की जाए।

अत: केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्संरचना और इसके शैक्षिक नेतृत्व को पुन: आकार देने तथा विनियमित भूमिका की आवश्यकता की पहचान करके देश में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान को पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए संभावित उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अत्यावश्यक तथा चुनौतियों का समाधान करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक यूजीसी समीक्षा समिति गठन करती है,

(i) प्रो. हरि गौतम, पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी ..... अध्यक्ष
(ii) प्रो. सी.एम. जरीवाला, पूर्वप्रमुख और विधि डीन, बीएचयू, ... सदस्य
(iii) प्रो. कपिल कपूर, पूर्व प्रो. वीसी, जेएनयू ..... सदस्य
(iv) श्री आर.पी.सिसोदिया, संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा) .....सदस्य-सचिव

यह समिति यूजीसी की वर्तमान स्थिति की एक समीक्षा करेगी और वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर निष्पादन प्राप्त करने हेतु यूजीसी की पुनर्संरचना करने की सलाह देगी। समिति इसके यूजीसी अधिनियम, 1956 और इसके तहत नियम तथा विनियमों के संशोधनों की भी सलाह देगी। समिति की समीक्षा मदें/विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-

(i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर का समन्वयन करने और निर्धारण करने में यूजीसी के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी अपने विनियामक पहुंच की लेखापरीक्षा को संचालित करेगी और इस पहलू पर इसकी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करेगी (इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों और यूजीसी के अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों के निष्पादन का मूल्यांकन भी शामिल होगा)

(ii) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने हेतु अन्य विनियामक निकायों की तुलना में यूजीसी के लिए विनियामक स्थान की आवश्यकता।

(iii) विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की तुलना में यूजीसी के लिए विनियामक स्थान का निर्धारण एवं वांछित विनियामक भूमिका को सुदृढ करने के उपाय।

(iv) दोहरे कार्यों के बीच संतुलन में परिवर्तनों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान की तुलना में विनियामक कार्य का मूल्यांकन।

(v) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में एक कठोर प्रत्यायन पद्धति बनाने और अनिवार्य प्रत्यायन को चुनौतियों को पूरा करने के लिए एनएएसी के पुनरूद्धार हेतु उपाय एवं युक्तियां सुझाना।

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं ई-गर्वनेस की शुरूआत करने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया के पुनर्विन्यास सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

(vii) अनुदानों का समय पर उपयोग करने के लिए कारगरता शुरू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान वितरण का पुनरूद्धार करना।

(viii) आरयूएसए दिशा निर्देशों के साथ इसे सम्मिलित करने एवं निधियों को जारी करने के लिए निष्पादन आधारित पद्धति प्रारंभ करना।

(ix) देश में ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी रूप से विनियमित करने एवं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को पहुंच योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु उपाय करना।

(x) क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्टाफ को नियोजित करने के तरीके का विश्लेषण एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों सहित पूर्ण पूरे आयोग की पुन: संरचना हेतु सुझाव देना।

(xi) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीयता और छात्र गतिशीलता को बढ़ाने के लिए नए उपाय करना।

(xii) विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में शिक्षण वातावरण को शक्ति प्रदान करने के लिए उपाय करना।

(xiii) देश में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का वातावरण शुरू करने और गुणवत्ता अनुसंधान विशेषकर बुनियादी विज्ञानों में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए उपाय करना।

(xiv) उच्चतर शिक्षा में निजी इकाईयां जो लाभ के लिए नहीं है उनका विनियमन एवं वाणिज्यकरण रोकने के लिए सुझाव देना।

3. यह समिति इस आदेश की तारीख से छह: माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिन से अपना कार्य करना बंद कर देगी।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को सभी सचिवालीय सहायता एवं लॉजिस्टिक सहायता संबंधी सहयोग प्रदान करेगा। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थाओं एवं अकादमिकों के साथ तालमेल करने के लिए अपने दौरों की यात्रा तथा समिति के आवास पर हुआ खर्चा शामिल होगा।

5. समिति अपने कार्यकरण के लिए अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को स्वयं बना सकती है। समिति अपने कार्यों की सुचारू प्रगति के लिए अपेक्षित विशेषज्ञों, प्रतिवेदकों और रेकॉटियूर को नियुक्त कर सकती है। ऐसे विशेषज्ञों, प्रतिवेदकों और रेकॉटियूर को नियुक्त करने का व्यय भी यूजीसी द्वारा वहन किया जाएगा।

(आर.पी.सिसोदिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में अध्यक्ष और सभी सदस्य

प्रति प्रेषित :

1. अध्यक्ष, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव।
4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के निजी सचिव।

6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के निजी सचिव।
7. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के निजी सचिव।
8. सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
9. उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सभी संयुक्त सचिव
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सभी स्वायत्त निकायों के प्रमुख।
11. वेबमास्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस आदेश को जन सूचनार्थ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.पी.सिसोदिया)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

डी.एम.आई.एस.(डो.प्र.) 27.08.2014